फर्द अहकाम

कैलाश बनाम R.K. Pet & others

न्यायालय SDC जयपुर

संख्या 109/2022

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली पास बहस आदेश 17 हेतु दिनांक 26/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
	26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी की बहसों पर सुनिकर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीपात को संरक्षित बनाये रखना उचित समझते हैं। अतः आज दिनांक 29/8/24 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को बढ़ाकर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा से दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीपात खसरा नं. 1260/3, 1261/ 1263/3, 1264, 2247, 2274, 2275, 2287, 2289/2 2292 2273 2975/2252 कुल किता 12 कुल रकबा 1.66 हे. वाके ग्राम कलवाड़ा मतवार हल्का कलवाड़ा मू. आ. नि. कलवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पिछले मुकदमे के अनुसार अपने-अपने कब्जे बदस्त काबिज रहे, एक दूसरे के कब्जे कास्त की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध (बाधा) उत्पन्न नहीं करेंगे और मौके की यथास्थिति बनाये रखें। नया निर्माण नहीं करें। पत्रावली लंबित रहने तक इसी तरह कि इस पत्रावली लंबित रहने तक निर्णय आप मौके होकर डाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/7/24 को लिखाया जाकर बाद सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	